न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-111/2018
(CNR N0-UPKU01-001631-2018)
राज्य प्रति रमायन चौहान एवं अन्य

आरोप

मैं सैय्यद वाइज मियां, सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर,

आप अभियुक्तगण 1- रमायन चौहान, 2- शम्भू चौहान, 3- सुनील चौहान एवं 4- पट्टू चौहान को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः-

1- यह कि दिनांक 28.10.2017 की रात समय अदम तहरीर, बहद ग्राम-सोन्दिया, थाना-तुर्कपट्टी, जिला-कुशीनगर में आपलोगों ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में स्वैच्छ्या वादी कनारसी चौहान की पत्नी विद्यावती देवी की लाठी, डण्डा से मारकर व ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दिया। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 302/34 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगों ने अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में स्वैच्छ्या वादी की पत्नी विद्यावती देवी की सहेली सरोज उर्फ रमावती को लाठी, डण्डा से मारकर साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आपलोगों ने ऐसा कृत्य किया, जो भा०द०सं० की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपलोगों को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपलोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 05.04.2018 **(सैय्यद वाइज मियां)**
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक 05.04.2018 **(सैय्यद वाइज मियां)**
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-111/2018
(CNR N0-UPKU01-001631-2018)
राज्य प्रति रमायन चौहान एवं अन्य

05.04.2018

पत्रावली पेश की गयी। अभियुक्तगण रमायन चौहान, शम्भू चौहान, सुनील चौहान एवं पट्टू चौहान जेरे हिरासत उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भी उपस्थित हैं।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण रमायन चौहान, शम्भू चौहान, सुनील चौहान एवं पट्टू चौहान के विरूद्ध धारा 302/34 व 323/34 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान है। अतः अभियुक्तगण रमायन चौहान, शम्भू चौहान, सुनील चौहान एवं पट्टू चौहान के विरूद्ध उक्त वर्णित दफाओं में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक को पेश हो। गवाहान तलब हों।

(सैय्यद वाइज मियां)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।